न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

पत्रावली संख्या –01 / 2024 दायर दिनांक: 09.07.2024
CMS NO:- 2024/207 पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. गोपाल आ0 खाना जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।
2. धनराज आ0 गोपाल जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।

केविएटकर्ता

बनाम

1. राजमल आ0 मूल्या जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।
2. कालीबाई आ0 मूल्या पत्नी धन्ना जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा हाल पिरोजपुरा तह0 अलीगढ।
3. छोटीबाई आ0 मूल्या जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा हाल पत्नी बद्री नि0 चेनपुरिया।
4. राजाबाई आ0 मूल्या जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा हाल पत्नी हरजी नि0 अरनेठा।
5. जगदीश आ0 धन्ना जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।
6. गौरीलाल आ0 धन्ना जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।
7. नाथूलाल आ0 धन्ना जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।
8. कमलेश आ0 धन्ना जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।
9. मनरासी उर्फ मंद्रासी आ0 बद्री जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा हाल पत्नी गौरीशंकर नि0 रजलावता।
10. गीता आ0 बद्री जाति धाकड पत्नी महावीर नि0 नाहरा तहसील अलीगढ।
11. लड्डू आ0 बद्री जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।
12. रामदेव आ0 बद्री जाति धाकड नि0 चावण्डपुरा।

नोन केविएटकर्ता

केविएट–: अन्तर्गत धारा 148ए सीपीसी वास्ते दर्ज करवाने केविएट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुमार कहार।

निर्णय दिनांक 22.04.2025

संक्षेप में केविएट का कथन इस प्रकार है कि केविएट कर्तागण ने न्यायालय श्रीमान के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 251ए राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत् अपनी खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चावण्डपुरा के खसरा नम्बर 278, 212, 632, 686 कुल किता 4 कुल रकबा 24–06 बीघा पर आने जाने के लिए आम रास्ता नोन केविएटकर्ता के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम चावण्डपुरा के खसरा नम्बर 684 रकबा 2.5079 हैक्टयर मे से रकबा 0.0324 हेक्टयर भूमि व अन्य खसरा नम्बरान 691, 685, 678 मे होकर निकल रहा है। माननीय न्यायालय द्वारा मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर मुताबित रिपोर्ट रास्ता नोन केविएटकर्ता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 684, 691, 685 व 678 मे से होकर तकमील करने का आदेश दिया गया है जिसकी पालना मे तहसीलदार नैनवॉं द्वारा उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 07.06.2024 को मय पुलिस जाब्ता उक्त रास्ता खसरा नम्बर 830/684, 836/691 मे से बहाल कर दिया परन्तु खसरा नम्बर 834/685 व 832/678 के खातेदारान नोन केविएटकर्ता द्वारा रास्ता बहाल नही करने दिया और केविएट कर्तागण को संदेह है कि नोन केविएटकर्ता वाद या अन्य कोई कार्यवाही प्रस्तुत कर सकते है जिससे माननीय न्यायालय के रास्ते की कार्यवाही अवरूद्व हो सकती है इस कारण केविएट कर्तागण केविएट प्रस्तुत की गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया तथा पाया कि केविएटकर्तागण द्वारा पत्रावली 09.07.2024 को इस आशय से पेश की गयी कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय की पालना दिनांक 07.06.2024 को पूर्ण रूप से नही की जाकर अप्रार्थीगण अथवा नोन केविएटकर्तागण द्वारा रास्ता बहाली की कार्यवाही अवरूद्व की गयी लेकिन पैरोकार सरकार द्वारा अवगत कराया गया कि रास्ता बहाली की संपूर्ण पालना दिनांक 24.10.2024 को की जा चुकी है जिससे पत्रावली मे कार्यवाही अपेक्षित नही होने से आगे चलाया जाना न्यायोचित नही है। साथ ही केविएट पत्रावली मे 90 दिवस की समयावधि भी समाप्त हो चुकी है अतः उक्त सभी कारणों से पत्रावली आगे चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। केविएटकर्ता द्वारा प्रस्तुत केविएट खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉं